राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
78/24	02.12.24	02.12.24

बउनवान

1. बनास्पति पत्नी स्व. मोहनलाल निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
2. इन्द्रा पत्नी स्व. काल्या निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
3. मंजू पुत्री स्व काल्या निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
4. आशा पुत्री स्व. काल्या निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
5. नरेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता।
6. प्रेमचन्द नाबालिग जरिये संरक्षिका माता।
7. फोरन्ता पुत्री स्व. मोहनलाल, निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
8. राधा नाबालिग जरिये संरक्षिका माता पुत्री स्व. मोहनलाल, निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
9. सीता पुत्री स्व. मोहनलाल, निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार बैजूपाड़ा दौसा।
2. गल्ली देवी पत्नि मोहरसिंह, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।
3. जगमोहन पुत्र सुवा, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।
4. राकेश पुत्र सुवा, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।
5 विनोद पत्नि सुवा, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।
6 मोहरसिह पुत्र किलाण, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।
7 हरकेश पुत्र किलाण निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।
8. मौसमी देवी पत्नी रूपचंद मीना, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।
9. रूपचंद पुत्र किलाण, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।
10.रोशन बाई पत्नि मुकेश निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री शिवदत्त जैमिनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की पैतृक आराजी भूमि खाता सं. नया 200 पुराना 192 के कुल खसरों में से खसरा सं. 834 रकबा 0.33 हैक्टे. एवं खसरा सं. 835 रकबा 0.31 हैक्टे. में आती है जिसके सम्पूर्ण रकबे

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

पर काबिज काश्त है जो वाके ग्राम ढिगारिया कपूर पटवार हल्का ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण हिस्से की आराजी पर कब्जा होकर उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नियत सीमा को लेकर अप्रार्थीगण 2 लगायत 10 व अन्य पडोसी काश्तकारों द्वारा विवाद किया जा रहा है। उक्त आराजी में स्थिति मेड को तोड कर अप्रार्थीगण व अन्य पडोसी काश्तकार अवैध तरीके से जोत लगाकर आराजी भूमि पर अवैध कब्जा कर अनाधिकृत रूप से काफी आराजी हिस्से पर अतिक्रमण कर बैठे है तथा अभी भी प्रार्थीगण की हिस्से की आराजी पर लगातार अवैध कब्जा करने का प्रयास कर अतिक्रमण करने के लिए प्रयासरत हैं। प्रार्थी संख्या 1 इन्द्रा व 2 बनास्पति सगी बहनें है तथा विधवा हैं। दोनों बहनें हिस्से की आराजी पर काश्त करने के साथ, मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थी 2 लगायत 10 व अन्य पडोसी लडाई–झगडा करने पर आमादा हैं। प्रार्थीगण शांति प्रिय एक परिवार के सदस्य है, इसका फायदा लेकर अप्रार्थी 2 लगायत 10 प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी भूमि पर अवैध कब्जा कर चुके हैं और वर्तमान में भी अवैध कब्जा करने की कोशिश में है। प्रार्थीगण ने दिनांक 28.11.24 को अप्रार्थी 2 लगायत 10 से अपनी–अपनी आराजी भूमि की सीमा का निर्धारण करवा सीमाज्ञान के साथ पत्थरगढ़ी करवा कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से की आराजी भूमि पर कब्जा लेने का अनुरोध किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 ने इंकार कर दिया तथा खेत की मेड को तोडने हेतु प्रार्थीगण से झगडा करने पर उतारू हो गये तथा ऐलानिया धमकी दी कि अगली बुवाई पर जोत लगाने पर मेढ़ तोडकर तेरी जमीन पर अधिक अवैध कब्जा करेगें। प्रार्थीगण के पास परिवार के भरण–पोषण का एकमात्र जरिया यह हिस्से की आराजी भूमि है। प्रार्थीगण बगैर वाद–विवाद के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से की आराजी भूमि को सुरक्षित करवा कर अपना जीवनयापन करना चाहते हैं। पक्षकारान के मध्य कभी भी कोई अपूरणीय क्षति लेकर घटित हो सकती है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है। प्रार्थीगण के खसरा सं. 834, 835 का सीमाज्ञान दिनांक 20.05.24 को हो चुका है। अतः निवेदन है कि ग्राम ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा में स्थित आराजी खसरा सं. 834 एवं 835 के आराजी भूमि की चारों दिशाओं में सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता सं. 200 की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अनुसार, ग्राम ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 834 रकबा 0.33 हैक्टे., 835 रकबा 0.31 हैक्टे., कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 हैक्टे. के प्रार्थीगण रिकोर्डेड संयुक्त खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा दिनांक 20.05.24 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु. जयपुर में विचाराधीन प्रकरण रमज्या उर्फ़ रामजीलाल बनाम इंद्रा मु.न. 74/2024 में जारी आदेश की पालना में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन नोट लगा हुआ है। न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु. जयपुर का मौका व रिकॉर्ड बाबत स्थगन आदेश होने के कारण उक्त आराजीयात की पत्थरगढी बाबत आदेश किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी आराजीयात खसरा सं. 834 रकबा 0.33 हैक्टे. एवं खसरा सं. 835 रकबा 0.31 हैक्टे. ग्राम ढिगारिया कपूर पटवार हल्का ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु. जयपुर के मौका व रिकॉर्ड बाबत स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner